(१५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2018/0200 विरूद्ध आदेश दिनांक 3-11-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौरप्रकरण क्रमांक 366/अपील/2015-16.

हेमसिंह पिता सरदार सिंह पटेल
निवासी ग्राम उटावद
तहसील व जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

म. प्र. शासन .....अनावेदक

श्री अखिलेश शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/4/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 3-11-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा, धार द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 10259/खनिज/2014-15 दिनांक 8-12-2004 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-67/2014-15 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 21-9-2015 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाते हुए संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत शासकीय भूमि सर्वे नंबर 434/1 पर 3181 घनमीटर के बाजार मूल्य की दोगुना राशि रूपये 6,36,200/- जमा किए जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला धार के

समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 12-4-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3-11-17 को आदेश पारित कर अपील निरस्त करते हुए अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. आवेदक को जारी कारण बताओ सूचना पत्र पटवारी रिपोर्ट के विपरीत होकर उसमें आधारभूत तत्वों का अभाव एवं अन्तर है, क्योंकि आवेदक को जो कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है, उसमें ग्राम बायखेडा के सर्वे नम्बर 275/2 के संबंध में है, जबकि उसे सर्वे नम्बर 434/1 के लिए दण्डित किया गया है। इस प्रकार पूरी कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक उत्पखनन किस सर्वे नम्बर की भूमि में किसके द्वारा किया गया है, फिर भी उत्खनन को अवैध मानकर आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

2. कारण बताओ सूचना पत्र में पोकलेन मशीन से अवैध उत्खनन किया जाना अधिरोपित किया गया है, परन्तु आवेदक की जे.सी.बी. को जप्त कर, आवेदक के विरूद्ध प्रकरण बनाया गया है ।

3. कारण बताओ सूचना पत्र में जे.सी.बी. मशीन मॉ नर्मदा एग्रोटेक लिमिटेड से अटैच होना बताई गई है । मॉ नर्मदा एग्रोटेक लिमिटेड आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसको पक्षकार नही बनाया गया है ।

4. आवेदक को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में अवैध उत्खनन की गणना बाजार मूल्य के अनुसार 10 रूपये प्रति घनमीटर की दर से किए जाने का उल्लेख किया गया था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रूपये 100/- प्रति घनमीटर की दर से गणना की गई है ।

5. कारण बताओ सूचना पत्र में डेढ़ बीघा क्षेत्र में 40 फीट गड्ढे के रूप में अवैध उत्खनन किया जाना दर्शाया गया है, जबकि पटवारी प्रतिवेदन में डेढ़ बीघा क्षेत्र में 10 फीट गड्ढे के रूप में प्रतिवेदित किया गया है ।

6. खनिज अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में 3181 घनमीटर का उल्लेख किया है, जबकि कारण बताओ सूचना पत्रमें 3181 घनमीटर एवं 37932 घनमीटर उत्खनन का दिया गया है ।

7. इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र पूर्णत: अवैध है, क्योंकि उसमें संहिता की धारा 247 के आवश्यक मूलभूत तत्वों का अभाव है । इस तर्क के समर्थन में 1976 आर.एन. 119, 1968 आर.एन. 146 एवं 1963 आर.एन. 589 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

8. अवैध उत्खनन किस स्थान पर किया गया है, उसे सुस्पष्ट करने का सम्पूर्ण भार अनावेदक शासन पर था, जिसे वह किसी भी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर सका है, फिर भी आवेदक को दण्डित किया गया है, जो कि 1986 आर.एन. 261 में प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के विपरीत है ।

9. संहिता की धारा 247(7) में कारण दिखाओ सूचना देना आवश्यक है - खान का नाम, उत्खनित माल की मात्रा तथा खनिज का बाजारी मूल्य देना चाहिए - बिना ऐसी जानकारी के कारण दिखाओ सूचना अवैध है । इस तर्क के समर्थन में 1980 आर.एन. 293, 1976 आर.एन. 419 एवं 1976 आर.एन. 453 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

10. इस प्रकार उक्त त्रुटिपूर्ण कारण बताओ पत्र के कारण कार्यवाही प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण रही है, जिसकी जानकारी आवेदक को प्रथम अपील के दौरान होने पर आवेदक ने अपना सद्भाविक पक्ष रखा है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10-12-2014 को सूचना पत्र जारी कर, अगले दिन ही दिनांक 11-12-2014 को जवाब हेतु नियत कर दबाव देकर जवाब ले लिया गया । जवाब हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया और प्रकरण जल्दबाजी में निराकृत कर दिया गया । इस प्रकार आवेदक के विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कार्यवाही की गई है ।

11. अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21'9-2015में उल्लेखित किया है कि ललीत पाटीदार ने बताया कि ग्राम बायखेड़ा की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 434/1 एवं 275/2 पर जे.सी.बी. मशीन खड़ी है । यह संभव नहीं है कि एक ही मशीन दूर-दूर स्थित दो सर्वे नम्बरों पर एक साथ खड़ी पाई जावे और मात्र मशीन खड़ी होने से उत्खनन किया जाना प्रमाणित मानना गंभीर भूल है । वास्तविक में किसी भी साक्षी ने उत्खनन होते नहीं देखा है, पटवारी ने भी सुस्पष्ट कहा है कि मौके की स्थिति अनुसार उत्खनन हुआ पाया गया ।

12. शासन के साक्षी क्रमांक 1 पटवारी, 2 रणजीत 3 भेरूसिंह आदि के कथनों से भी स्पष्ट है कि उनके समक्ष जे.सी.बी. मशीन चालू न होकर अवैध उत्खनन करती हुई नहीं पाई गई है । उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बगैर एवं आवेदक को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत

करने हेतु समुचित अवसर दिये बगैर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत प्रक्रिया अपनाकर आवेदक को दण्डित किया गया है ।

13. अवैध उत्खनन किया हुआ, खनिज जप्त किए बगैर जे.सी.बी. मशीन की जप्ति रसीद बनाये बगैर मनमाने तौर पर आवेदक को दण्डित किया गया है ।

14.आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत की स्वच्छता अभियान एवं हाट बाजार के योजना के क्रियान्वयन के नि:शुल्क सहयोग के बतौर जे.सी.बी. मशीन भेजी गई थी और जे.सी.बी. मशीन बिना ड्रायवर के खड़ी हुई थी, उत्खनन का कार्य नहीं हुआ था । उक्त जवाब पर विचार किये बगैर आवेदक को दण्डित करने में गंभीर भूल की गई है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि खनिज अधिकारी के पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं साक्षियों के कथन अंकित किये गये है । यह भी कहा गया कि पंचनामा से भी आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित है । अत: आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन प्रमाणित पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर ने विस्तार से विवेचना करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित पाते हुए स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई है । इस आधार पर कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि प्रकरण में जो साक्ष्य है वह एकदूसरे के विपरीत है । कारण बताओ सूचनापत्र में ग्राम बायखेड़ा के सर्वे नंबर 275/2 में 40 फीट गड्डे के रूप में अवैध उत्खनन होना दर्शाया या है, जबकि पटवारी प्रतिवेदन एवं पंचनामा में 10 फीट गड्डे के रूप में प्रतिवेदित किया गया है तथा आवेदक को सर्वे नंबर 434/1 के लिए दंडित किया गया । अभिलेख में

जो पंचनामा संलग्न है उसमें सर्वे नंबर में कांट-छाट की जाकर सर्वे नंबर 434/1 किया गया है तथा इसमें भी 10 फीट के गड्डे के रूप में उत्खनन का लेख किया गया है । वास्तविक उत्खनन किस सर्वे नंबर की भूमि में किसके द्वारा किया गया है यह प्रमाणित नहीं किया गया है । प्रकरण में शासन के साक्षी सरपंच एवं चौकीदार के प्रतिपरीक्षण का अवसर भी आवेदक को दिया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है, इन साक्षियों द्वारा भी कथन में आवेदक को उत्खनन करते हुए देखे जाने की बात नहीं कही गई है बल्कि यह कहा है कि मौके पर जब पहुंचे वहां जे.सी.बी. मशीन खड़ी थी । अभिलेख में पटवारी का जो कथन संलग्न है उसमें भी उन्होंने यह स्वीकार किया है कि " जिस समय मौके पर गया था उस समय जे.सी.बी. खडी थी उत्खनन नहीं किया जा रहा था ।" अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव तथा ग्राम पंचायत के प्रतिवेदन जिसमें उन्होंने " ग्राम उटावद में स्वच्छता अभियान अंतर्गत गांव में साफ सफाई एवं हाट बजार एवं पशुहार में साफ-सफाई के लिए जे.सी.बी. मशीन एवं ट्रेक्टर द्वारा मुरम जन सहयोग से कार्य करवाया जा रहा था । साफ सफाई के कार्य हेतु मशीन मालिक द्वारा निशुल्क चलाई जा रही थी । इनके द्वारा निवेदन करने में ग्राम बायखेयडा में ग्राम पंचायत कार्य हेतु मुरम खुदाई की जाने वाली थी उसी समय तहसीलदार द्वारा जे.सी.बी. का प्रकरण बना लिया गया जिसे समाप्त किया जाने" की बात कही गई है । उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन पर है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1997 आर0एन0 174 संतोष राय विरूद्ध म0प्र0 राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत पतिपादित किया गया है :-

> " धारा 247(7) खदानों से अवैध उत्खनन का मामला - सरकार द्वारा पूर्णत स्थापित किया जाना होता है ।"

इसी प्रकार 1996 आर0एन0 365 हरीशंकर तिवारी विरूद्ध म0प्र0 राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> " धारा 247(7) खनिज अवैध रूप से निकालना - उपबंध दाण्डिक प्रकृति का है - युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए - मामला साबित नहीं जुर्माना नहीं किया जा सकता ।"

चूंकि शास्ति अधिरोपित की जा रही थी तब अवैध उत्खनन आवेदक द्वारा किया जाना सिद्ध करने का प्रमाण भार अनुविभागीय अधिकारी पर था । इस संबंध में 1997 आर0एन0 174 संतोष राय विरूद्ध म0प्र0 राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है -

" धारा 247(7) खदानों में अवैध उत्खनन का मामला - सरकार द्वारा पूर्णत स्थापित किया जाना होता है ।"

अत: उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहां तक कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2017, अपर कलेक्टर, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) क्षेत्र धार जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2015 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर